

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092022-238747 CG-DL-E-12092022-238747

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] No. 213] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 2022/भाद्र 21, 1944

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 2022/BHADRA 21, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2022

विषय : सार्वजनिक सूचना सं. 11/2015-20 दिनांक 07.06.2022 का शुद्धिपत्र।

फा. सं. 01/94/180/234/एएम20/पी.सी—4.—समय—समय पर यथा—संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015—20 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना सं. 11/2015—20 दिनांक 07.06.2022 के एएनएफ— 4च के तहत आवेदकों हेतु दिशा—निदेशों के पैरा 2(ख) (i) में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करते हैं:

मान्य निर्यातों हेत् मौजूदा पैरा 2(ख) (i)

(i) बीजक की एक प्रति अथवा बीजकों का विवरण सामग्री प्राप्त करने वाले यूनिट द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित हो, जिसमें ऐसी आपूर्ति की मद इसकी मात्रा, मूल्य और ऐसी आपूर्ति की तारीख प्रमाणित हो। तथापि, उत्पाद शुल्क न लगाए जाने वाले मदों की आपूर्ति के मामले में अथवा उत्पाद शुल्क न लगाए जाने वाले उत्पाद (उत्पादों) का उत्पादन करने वाले यूनिट को

मान्य निर्यातो हेत् संशोधित पैरा 2(ख) (i)

(i) बीजक की एक प्रति अथवा बीजकों का विवरण सामग्री प्राप्त करने वाले यूनिट द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित हो, जिसमें ऐसी आपूर्ति की मद इसकी मात्रा, मूल्य और ऐसी आपूर्ति की तारीख प्रमाणित हो। तथापि, उत्पाद शुल्क न लगाए जाने वाले मदों की आपूर्ति के मामले में अथवा उत्पाद शुल्क न लगाए जाने वाले उत्पाद (उत्पादों) का उत्पादन करने वाले यूनिट को

6096 GI/2022 (1)

उत्पाद शल्क योग्य मदों की आपर्ति करने के मामले में मात्रा, मुल्य और आपूर्ति की तारीख प्रमाणित करते हुए परियोजना प्राधिकारी प्रमाणपत्र (पीएसी) उत्पाद शुल्क / जीएसटी प्रमाणन के बदले स्वीकार्य तथापि, ईओय्/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी आपृतियों के संबंध में, आपूर्ति की मद, इसकी मात्रा. मल्य और ऐसी आपूर्ति की तारीख को प्रमाणित करते हुए क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्पाद शल्क / जीएसटी प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित सीटी-3/ एआरई-3 की उपर्यक्तानसार उत्पाद शुल्क / जीएसटी अभिप्रमाणितं बीजंक (बीजकों) अथवा बीजकों के विवरण के बदले प्रस्तुत की जा सकती है। तथापि, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.30 के अनुसार अंतिम निर्यातक (अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा डीएफआईए धारक) द्वारा निर्यात हेत सीधे पत्तन को मध्यवर्ती आपर्तिकर्ता द्वारा उत्पाद की आपूर्ति के मामले में, अंतिम निर्यातक और मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता की फाइल सं./प्राधिकार पत्र सं. के साथ उस पर मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के रुप में पृष्टांकित घरेल आपूर्तिकर्ता के नाम के साथ शिपिंग बिल की प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

उत्पाद शल्क योग्य मदों की आपर्ति करने के मामले में मात्रा, मुल्य और आपूर्ति की तारीख प्रमाणित करते हुए परियोजना प्राधिकारी प्रमाणनपत्र (पीएसी) शुल्क / जीएसटी प्रमाणन के बदले स्वीकार्य होगा। तथापि, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी को आप्तियों के संबंध में, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शल्क बोर्ड, जीएसटी नीति विंग द्वारा जारी परिपत्र सं. 14/14/2017-जीएसटी दिनांक 6 नवम्बर, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तद्नुसार, प्राप्तकर्ता द्वारा विधिवत पृष्टांकित कर बीजक की प्रति के साथ प्रपत्र क की प्रति को मान्य निर्यात आपूर्तियों के प्रमाण के तौर पर माना जाएगा। तथापि, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.30 के अनुसार अंतिम निर्यातक (अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा डीएफआईए धारक) द्वारा निर्यात हेत् सीधे पत्तन को मध्यवर्ती आपर्तिकर्ता द्वारा उत्पाद की आपूर्ति के मामले में, अंतिम निर्यातक और मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता की फाइल सं./प्राधिकार पत्र सं. के साथ उस पर मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के रुप में पृष्ठांकित घरेल आपूर्तिकर्ता के नाम के साथ शिपिंग बिल की प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

शुद्धिपत्र का प्रभावः दिनांक 07.06.2022 को जारी सार्वजनिक सूचना सं. 11 / 2015–20 में आंशिक संशोधन किया गया हैं। ईओय् / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी को की गई आपूर्तियों के संबंध में प्रावधान सार्वजनिक सूचना सं. 9 दिनांक 14.05.2018 के समान रहेगा।

> संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th September, 2022

Subject: Corrigendum to Public Notice No.11/2015-20 dated 07.06.2022.

F. No. 01/94/180/234/AM20/PC-4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby partially modifies Para 2 (b)(i) of the Guidelines For Applicants under ANF-4F of Public Notice No.11/2015-20 dated 07.06.2022 as follows:

Existing Para 2 (b)(i) for deemed exports

(i) A copy of the invoice or a statement of invoices duly signed by the unit receiving the material certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply. However in case of supply of items which are non excisable or supply of excisable items to a unit producing non excisable product(s), a project authority certificate (PAC) certifying quantity, value and date of supply would be acceptable in lieu of excise/GST certification. However, in respect of supplies to EOU/EHTP/

Revised Para 2 (b)(i) for deemed exports

(i) A copy of the invoice or a statement of invoices duly signed by the unit receiving the material certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply. However in case of supply of items which are non excisable or supply of excisable items to a unit producing non excisable product(s), a project authority certificate (PAC) certifying quantity, value and date of supply would be acceptable in lieu of excise/GST certification. However, in respect of supplies to EOU/EHTP/ STP/ BTP, a copy of CT -3/ ARE-3 duly signed | STP/ BTP, procedure prescribed in Circular No. by the jurisdictional excise/GST authorities certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply can be furnished in lieu of the excise/GST attested invoice (s) or statement of invoices as given above. However in case of supply of the product by the Intermediate supplier to the port directly for export by the ultimate exporter (holder of Advance Authorisation or DFIA) in terms of paragraph 4.30 of HBP, copy of the shipping bill with the name of domestic supplier as Intermediate supplier endorsed on it along with the file No. /Authorisation No. of the ultimate exporter and the intermediate supplier shall be required to be furnished.

14/14/2017-GST dated 6th November, 2017 issued by GST Policy Wing, Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue shall be followed. Accordingly, copy of Form A along with the copy of Tax invoice duly endorsed by recipient shall be considered as proof of deemed **export supplies.** However in case of supply of the product by the Intermediate supplier to the port directly for export by the ultimate exporter (holder of Advance Authorisation or DFIA) in terms of paragraph 4.30 of HBP, copy of the shipping bill with the name of domestic supplier as Intermediate supplier endorsed on it along with the file No. / Authorisation No. of the ultimate exporter and the intermediate supplier shall be required to be furnished.

Effect of Corrigendum: Partial modification has been made in the Public Notice No. 11/2015-20 issued on 07.06.2022. The provision in respect of the supplies made to EOU/EHTP/STP/BTP remains in line with the Public Notice No.9 dated 14.05.2018.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.